3428 Rayati Sale. V. 624000/. Dhanbad 3066

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

झारखण्ड JHARKHAND

03AA 223764

दस्तावेज जाँचा गया

प्रपत्र IV जाँचा

भूमि संबंधी कागजातों की जाँच।

46

23

06/07/17 06/07/17

अंचल अधिकारी धनबाद के प्रा सूची अनुसार दस्तावेज में वर्णित मौजा मनईटांड नम्बर 4 के खाता नं0 अदर्ज निषिद्ध खाते से बाहर है / सूची बद्ध नहीं है।

6/7/17

Vide Notification no. 4992500 dt. 19.06.17 Govt of Jharkhand
विधि no. 11 dt 05.07.17

06/07/17

Fee Paid

बिक्रय पत्र

बिक्रेता:-परवीन खानम पति मो0 फरीद खान जाति-मोमीन पेशा-गृहिणी
सा0-एवं-पो0-बैलिया थाना-नोहट्टा जिला-रोहतास {बिहार} हाल सा0
न्यू आजाद नगर गफ्फार कॉलोनी पो0-भूली थाना-बैंक मोड जिला-धनबाद
भारतीय,आधार क्रमांक- 7571 0671 9650

..2..

Sd 2.50
Ptee 0.94
3.44

06.07.17

उपरोक्त वर्णित जमीन का कुल मूल्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं है।

06.07.17

पहचान पत्र की मूल प्रति का मिलान किया।

06.07.17

धनबाद कोषागार से निर्ग

कोषागार पदाधिकारी
धनबाद

Sl. No. 1823 Date 04.07.17
Name Jaima Khatoon
At S.P.G. Westearn
P.S. Bankmore
Value of Stamp 5 Five rupey
Through
Part of Stamp

B. N. C.
Bishwa Nath Chatterjee
S.V. Dhanbad, L. No.-18/1972/73

INDIA NON JUDICIAL

JHARKHAND

03AA 223754

6-7-17 10-00—1-00

परवीन खानम
मो० फरीद खान
न्यू आजाद नगर बैंकमोड़ धनबाद
मोमीन

6-7-17

Attested
Advocate

परवीन रवानम
5/7/17
6/7/17

धनबाद

06.07.17

पहचान/दस्तखत 5/7/17

क्रेता:- जासिमा खातुन पति मो0 हसनैन खान जाति-मोमीन पेशा-गृहिणी सा0-नियर वासेपुर कमर मकदुमी रोड थाना-बैंक मोड जिला-धनबाद ।
भारतीय,आधार क्रमांक-4497 6528 4479

बिक्रय पत्र॥ केवाला दस्तावेज ॥

मूल्य:- 6,24,000/-रूपये ॥ छः लाख चौबीस हजार रूपये ॥
सालाना मालगुजारी:-50 पैसे,मालिक जमींदार झारखण्ड सरकार अंचल कार्यालय-धनबाद ।

विवरण जमीन:- जिला सदर निबंधन कार्यालय धनबाद थाना बैंक मोड अन्तर्गत पाण्डरपाला" मौजा में बिक्रेता के कायमी रैयती स्वत्व की जमीन,मौजा नं0-4, खाता नं0-38,प्लॉट नं0- 1402 रकवा- 3 कट्ठा 3 छटाक यानि-5.26 डिसमील जमीन बिक्री किया,जो नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है । उक्त जमीन अन्य सडक पर आवासीय है ।

जिसका चौहद्दी:-

उत्तर :- मो0 असलम अंसारी एवं सुलतान खान
दक्षिण :- प्लॉट नं0-1402 का अंश
पूरब :- 4 फीट गली एवं प्लॉट नं0- 1403
पश्चिम:- 10 फीट चौडा रास्ता

उक्त जमीन धनबाद निबंधन कार्यालय से निबंधीत दिनांक-13.01.2015 ई0 के 184 नं0 केवाला दस्तावेज द्वारा बिक्रेता के नीज नाम सेखरीदा जमीन है । जिसका जमाबन्दी सं0- 4223 में मालगुजारी रसीद निर्गत होता है ।

दस्तावेज में अंकित भूमि सरकारी गैर मजरूआ सरकार द्वारा बन्दोवस्त अहस्तांतरणीय भूदान से प्राप्त बन भूमि,आदिवासी खाता ,गैर मजरूआ सरकार द्वारा,केशरे हिन्द भूमि,जंगल झाडी भूमि की श्रेणी में नहीं आता है ।

...3...

प्रवीण कुमार
5/7/17

चूँकि बिक्रय पत्रका विवरण यह हैं कि बिक्रेता के संसारिक खर्च के लिए रूपये की अति आवश्यकता आ पडी हैं,इसलिए विवरण में दिये गये जमीन को बिक्री करने के लिए क्रेता से प्रार्थना करने पर क्रेता उक्त जमीन को खरीदने के लिए राजी हुए, इस प्रकार दोनों पक्षों की सहमति से जमीन की समयोचित सर्वोच्च मूल्य-6,24,000/- रूपये में तय हुआ,एवं बिक्रेता ने क्रेता के नाम पर बिक्री कर सदा के लिए निःस्वत्व हुए,एवं क्रेता को दखल कार किया तथा दखल दिया ।

उक्त जमीन पर बिक्रेता के जिस प्रकार हक-अख्तियार दावी-दावा आदि था आज तारीख से क्रेता का हुआ,क्रेता उक्त जमीन पर मकान आदि बना कर इच्छानुसार दान बिक्री आदि सर्व प्रकार का मालिक होकर वंश परम्परा सेपुत्र-पौत्रादि एवं वारिसन के साथ सदा के लिए भोग दखल करते रहेंगे ।

बिक्रीत जमीन का सालाना मालगुजारी मालिक जमींदार झारखण्ड सरकार को बराबर अदा देकर बिक्रेता के नाम कटवा कर क्रेता अपने नाम से दाखिल-खारिज करा कर मालगुजारी का रसीद हासिल करेंगे ।

उक्त जमीन बिक्रेता के खास दखल में है कभी किसी प्रकार का हस्तान्तर आदि नहीं किया हुआ है । अगर भविष्य में कभी किसी प्रकार का दाय संयोग हस्तान्तर आदि पाया जाय और उससे क्रेता को क्षति पहुचे तो बिक्रेता या बिक्रेता के वंशज को क्षति पूर्ण का देनदार होगा या होंगे ।

अतः बिक्रेता अपनी स्थिर बुद्धिऔर सरल मन से विचारकर मूल्य का समस्त रूपये नगद ग्रहण कर यह बिक्रय पत्र लिख दिया कि समय पर काम आवें । इति सन् 2017 तारीख- 5-7-2017

पहचान स्वान्य
5/7/17

क्रेता का छायाचित्र:-

5/7/17
जासीमा खातुन व: असलम अन्सारी
जासीमा खातुन मेरे सामने
टीप दिया

...ate असलम अन्सारी

मैने विक्रय पत्र का प्रारूप तैयार किया एवं दोनों पक्षों को पढकर सुनाया एवं समझा दिया, एवं प्रमाणित किया जाता है कि विक्रेता और क्रेता जिनका छायाचित्र दस्तावेज में लगाए गए हैं, उनके बायें हाथ की अंगुलियों के निशान मेरे सामने लिए गए है ।

5/7/17
E. No-1622/03

गवाहगण:-

1. Aslam Ansari
S/o- Late Abdul Subhan Ansari
Azad Nagar Ghaffar colony
P.S. - Bank More
5/7/17 957 14365322

2. AFZAL KHAN
S/o Late. Shahnawaz Khan
Jabbar Campus
Wasseypur
P/S Bank More
Dhanbad.
5/7/17

विक्रेता — परवीन खानम, पति: मो० फरीद खान
सा०: ग्राम एवं पो० बौलिया, थाना: नोहट्टा, जिला रोहतास (बिहार) हाल सा०: न्यू आजाद नगर गफ्फार कोलोनी, पो०: भुली, थाना: बैंक मोड़, जिला- धनबाद।

क्रेता — जासिमा खातून, पति: मो० हसनैन खान
सा०: नियर वासेपुर, कमर मखदूमी रोड, थाना: बैंक मोड़, जिला: धनबाद।

तफसील — मौजा: पाण्डरपाला नं० 4, खाता नं०: 38
प्लोट नं०: 1402 रकबा: 3 कट्ठा 3 छटांक यानि 5.26 डि०

चौहद्दी — उ० : मो० असलम अंसारी एवं सुलतान खान
द० : प्लोट नं० 1402 का अंश
पू० : 4'-0" गली एवं प्लोट नं० 1403
प० : 10'-0" चौड़ा रास्ता

नक्शा लाल रंग से अंकित है

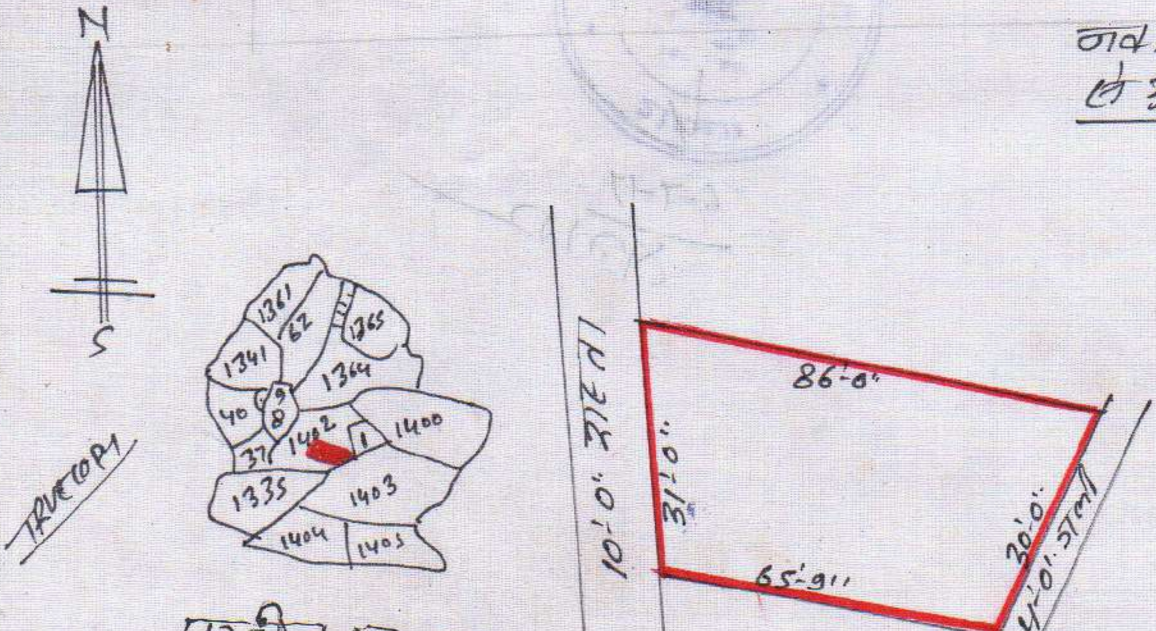

परवीन खानम
5/7/17

LTI
जासीमा खातुन व:असलम अन्सारी
5/7/17

SATYENDRA PANDIT NOTARY Reg. No. 1967/10 Govt. of India DHANBAD JHARKHAND
SPECIAL ADHESIVE SPECIAL ADHESIVE

समक्ष लेख्य प्रमाणक, धनबाद

NOTARY DHANBAD

शपथ–पत्र

मैं Jasimakhatoon, पिता/पति Md. Husnain Khan

पता– Near Warsi Room, Rooman Makhdum Road, Dhan जिला– Dhan, राज्य–झारखण्ड,

नागरिक–भारतीय, शपथ पूर्वक घोषणा करती हूँ कि, महिला के नाम निबंधित होने वाली विक्रय विलेख पर प्रभार्य/देय स्टाम्प शुल्क एवं निबंधन शुल्क की छुट संबंधी राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना संख्या 13/नि0 वि0 (महिला शुल्क विमुक्ति) 13/2017 के आलोक में मैं इसके पूर्व इस छूट का उपभोग नही की हूँ।

S No. 11 Date 05 JUL 2017

सत्यापन

शपथकर्त्ता की पहचान अधिवक्ता आर0बी0 सिंह अधिवक्ता, धनबाद के समक्ष किया गया।

एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सारी बातें मेरी जानकारी में सत्य एवं सही हैं, जिसे आज दिनांक 5/7/17 को सत्यापित किया।

L.T.I. of Jasima Khatoon

शपथकर्त्ता

पहचानकर्त्ता

अधिवक्ता

SATYENDRA PANDIT NOTARY Reg. No. 1967/10 Govt. of India DHANBAD, JHARKHAND

लेख्य प्रमाणक, धनबाद NOTARY DHANBAD

Authorised
u/s 297 (i) (c) of the Cr P.C. 1973
(Act No 11 of 1974) & u/s (8) (i)
of the Notaries Act 1952
(Act No 53 of 1952)